मुन्तकिली प्रकरण सं0 79/2019 (RCMS 2019/00132) अनवानी गागनदीप पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत खत्री निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर **बनाम 1.** रीना छिम्पा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर **2.** रणजीत सिंह पुत्र रतनचन्द जाति राजपूत खत्री निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **3.** स्वर्ण कौर पत्नी सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **4.** गुरजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह जाति जटसिख, निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **5.** जयभगवान पुत्र प्रेमसागर जाति अग्रवाल निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **6.** तृप्ता पत्नी रघुवीर जाति राजपूत खत्री **7.** भूपेश कुमार पुत्र रघुवीर सिह जाति राजपूत खत्री निवासी चक 2 वी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **8.** स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरणपुर

17.07.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री रणजीत सिंह की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत अधिवक्ता उपस्थिति हुए। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लम्बित एक राजस्व प्रकरण संख्या 64/2015 अनवानी गगनदीप बनाम रणजीत सिंह वगै.व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2015 अनवानी गगनदीप बनाम रणजीत सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 235 के तहत दिनांक 26.06.2019 को पेश किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे कथन है कि उक्त राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी सुभाषचन्द के द्वारा आदेश–1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। और दिनांक 16.04.2019 को सुबह ही प्रतिवादी संख्या 1 रणजीत सिंह पीठासीन अधिकारी से मिला और इसके उपरान्त पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना बहस सुने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निर्णय कर दिया, जिसमें आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र 1000/– की कॉस्ट पर खारिज कर दिया तथा वादी पर भी न्यायालय को विरोधाभासी तथ्य पेश कर गुमराह करने का लिखकर 1000/– की कॉस्ट लगा दी जबकि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सुभाक्षचन्द का था, इसलिए वादी पर नाजायज रूप से 1000/– कॉस्ट लगाई गई है, जिसके पीछे प्रतिवादी रणजीत संह का हाथ है। इसलिए वादी प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 19.06.2019 को प्रार्थी उपस्थित आया तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र 212 का खारिज करने का इजहार किया और बहस नहीं सुनी और आगामी पेशी दिनांक 26.06.2019 की निशचित कर दी।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी किसी कारणवण अपने अधिवक्ता के पास आया हुआ था तो प्रार्थी ने पीठाीसीन अधिकारी के घर के आगे प्रार्थी संख्या 1 रणजीत सिंह की गाड़ी रूकी देखी जिसमें रणजीत सिंह नीचे उतरा और पीठासीन अधिकारी के घर गया। अप्रार्थी संख्या 1 रणजीत सिंह करीब 2 घंटे बाद घर से बाहर निकला और गाड़ी लेकर चला गया, जिससे प्रार्थी को ये पक्का संदेह हो गया कि प्रार्थी का 212 का प्रार्थना पत्र आवश्यक खारिज होगा इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 रणजीत सिंह उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी से येन–केन अपने पक्ष में करवाने की कोशिाश में है और पीठासीन अधिकारी के आचरण से स्पष्ट आ रहा है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उसके पक्ष में होगा। इसलिए उक्त मूल दावा 64/2015 व विविध प्रकरण संख्या 51/2015 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी रणजीत सिंह के अधिवक्ता का कथन है कि वादी द्वारा उक्त दावा व प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 58, 188, 92 व धारा 212 का 2015 मे प्रस्तुत किया था और उक्त वाद प्रस्तुत करने के समय प्रार्थी के द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम आदेश प्राप्त किया गया था और तब से लेकर आज तक प्रार्थी उस विविध प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से अनावश्यक रूप से कोई न कोई प्रार्थना प्रस्तुत करके उस अन्तरिम आदेश को यथावत रखना चाहता है जबकि वह विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 16.02.2019 एवं दिनांक 24.06.2019 को कभी भी अप्रार्थी संख्या 2 रणजीत सिह कभी भी पीठासीन अधिकारी से नहीं मिला और ना ही मिलने का प्रश्न पैदा होता है। उत्तरदाता अप्रार्थी पंजाब के शहर मोगा का रहने वाला है और प्राथी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिलने जैसे कथन केवल मात्र प्रार्थना पत्र को आधार बनाने के उद्देश्य से अंकित किये गये है। प्रार्थी को यदि पीठासीन अधिकारी के द्वारा पारित किये गये आदेश से कोई अप्रसन्नता है तो

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वह उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर सकता है। उक्त आदेश मुकद्दमा मुंतकिल के लिए कोई आधार नहीं रखते है। इसलिए उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र एवं लिखित जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी दिनांक 10.07.2019 एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व प्रकरण संख्या 64/2015 अनवानी गगनदीप बनाम रणजीत सिंह वगै. व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 51/2015 अनवानी गगनदीप बनाम रणजीत सिंह वगै. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लम्बित है, में निष्पक्ष न्याय मिलने की सम्भवना को लेकर प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे। अप्रार्थी रणजीत सिंह के द्वारा लिखित जवाब में सभी आरोपों का खण्डन करते हुंए, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की है और उपखंड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने भी अपनी टिप्पण्णी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन किया हे।

प्रार्थी ने मुंतकिली प्रार्थना पत्र में प्रार्थी सुभाष के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने पर, सुभाष पर 1000/— कॉस्ट लगाने के साथ साथ, वादी गगनदीप पर भी 1000/— की लगाई गई कॉस्ट के आदेश को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से उक्त मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र को अन्यत्र सक्षम मुंतकिल किये जाने की प्रार्थना की है जो एक उचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अगर प्रार्थी उक्त कॉस्ट के आदेश से अप्रसन्न है तो उसके विरूद्ध वह सक्षम न्यायालय में अपील व रिविजन पेश

जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

करने के लिए स्वतंत्र है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की वैधता पर गुण दोष के आधार पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट प्रकरण संख्या 64/2015 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभी तक मूल दावा में तनकियात कायम होनी शेष है और मूल वाद के निर्णय की अभी कोई स्टेज नहीं है और अभी तो वाद प्रारम्भिक अवस्था में ही है, केवल मात्र प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से ही यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार न होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गगनदीप द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर